


27/9/2024. पत्रावली पेश। वकुलाग्र उपस्थित।
 वकील अग्रणी सं. उसे 7 की होर से
 जवाब प्रस्तुत नहीं। पर्याप्त समय दिखे
 जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं
 होने से अग्रणी सं. उसे 7 का जवाब
 केंद्र दिया जाकर वकुलाग्र की कार्य सूची
 उर्वी कार्य पर मजबूत किया गया।
 पत्रावली में पूर्व के रेकॉर्ड में उपलब्ध
 तद्विलंबित रिपोर्ट का अवलोकन किया
 गया। जिसमें अवगत करवाया गया कि
 प्रार्थी संस्था 1 व 2 NH 89 के अंतर्
 दिशा की होर करवा करवा कायम है
 तथा अग्रणी संस्था उसे 7 प्रार्थी
 के करवा करवा के अंतर् दिशा में
 करवा करवा कायम है। तब
 रिपोर्ट अग्रणी का अग्रणी दिया
 गया

अतः शरण विवेचन के अंतर्गत पर
 प्रार्थीगण का प्रथम पत्र स्वीकार
 करते हुए मासिक मोटा रिपोर्ट निम्न
 25/5/22 एवं तद्विलंबित वर्गान मोटा
 रिपोर्ट निम्न 2/5/21 इत्यादि
 शरण रेकॉर्ड में तद्विलंबित दिखे जाने
 का आदेश दिखे जाते हैं। अतः मोटा
 रिपोर्ट निम्न 25/5/22 में कि गरी
 तद्विलंबित संशोधन रिपोर्ट के प्रार्थीगण
 एवं अग्रणी सं. उसे 7 संशुद्ध
 रूप से सुदृष्ट पाये गये हैं। मोटा
 रिपोर्ट अतः आदेश का अग्रणी मोटा
 जावे। अतः की तद्विलंबित 1 व रिपोर्ट
 को जारी हो। पत्रावली केसल होर
 जवाब के कर करके हुए तद्विलंबित
 दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी रियांबडी
 जिला-नागौर